# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—455/2019/अवमानना प्रा0पत्र (2019/00455)

1. डेनियल पुत्र गैसवी,
2. युसुफ पुत्र युनुस,
   समस्त निवासी कल्याणीपुरा, सरकारी स्कूल के पास, रावत मौहल्ला, तहसील व जिला अजमेर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हिवल्ड पुत्र हनूक, जाति ईसाई, निवासी कल्याणीपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
2. अनिल कुमार सैनी पुत्र ललित कुमार, जाति माली, निवासी नारीशाला के पास, गढ़ी मालियान रोड़, अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्टस एक्ट 1971 सपठित धारा 151 जा0दी0.

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विजयसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री सुरेन्द्रसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3.

## निर्णय

दिनांकः— 30.9.2021

1. प्रार्थीगण ने अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्टस एक्ट 1971 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर विवादित आराजियात बाबत् अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया था । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 9.9.2019 को पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 23.9.2019 को पेश की जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 भी पेश किया था । न्यायालय हाजा ने दिनांक 4.10.2019 को बहस सुनकर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत् आदेश पारित किये थे जो पेशी दर पेशी बढ़ता चला आ रहा है । न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश के प्रभावी रहते अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रश्नगत भूमि पर नीवं खोदकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया एवं अनाधिकृत तौर पर प्रश्नगत भूमि पर निरन्तर कब्जा करने पर आमादा है । प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को अवगत करा दिया गया इसके बावजूद इनके

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना की जा रही है । प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष भी न्यायालय हाजा के आदेश का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रोके जाने का निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा कोई पालना नहीं करवाई गई है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना किये जाने से नियमानुसार दण्डित किया जावे तथा प्रश्नगत भूमि पर किए गए अवैधानिक निर्माण को ध्वस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि की यथावत् स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे ।

2. विद्वान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 दिनांक 9.9.2019 को खारिज किया जा चुका है कारण कि प्रार्थीगण एवं उनके अन्य सहखातेदारों द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि को आवासीय भू–खण्डों के रूप में पृथक–पृथक बेचान एवं हस्तातंरित किया जा चुका है जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के अधीन समाप्त हो चुके है । अधिकांश भू–भाग पर उक्त अन्य क्रेतागण के आवासीय मकान बने है तथा निर्माणाधीन होकर उपयोग उपभोग कर रहे है । प्रार्थीगण ने इन सब का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की गई है । न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश एकपक्षीय था जिसकी अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी । दिनांक 4.3.2021 को नोटिस प्राप्त होने पर विधिवत् जानकारी हुई है । प्रार्थीगण ने एक प्रथम सूचना पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर में दर्ज करायी थी जिस पर विधिवत् पुलिस द्वारा जांच की जाकर एफ.आर. संख्या 178/19 पेश की जा चुकी है जिसमें यह माना है कि प्रार्थी की भूमि अलग स्थान यानि कल्याणपुरा अजमेंर में स्थित है एवं अप्रार्थीगण की भूमि थोक मालियान में स्थित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मनगढ़त प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है । अप्रार्थी को अपनी क्रयशुदा भूमि पर विधिवत् निर्माण करने का पूर्ण हक व अधिकार है । प्रार्थी ने अप्रार्थी से अवैध राशि लेने के उद्देश्य से वाद एवं अपील पेश की है । अतः अवमानना प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

3. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 4.10.2019 की अवमानना किये जाने के संबंध में यह अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.9.2019 के विरूद्ध अपील संख्या 374/2019 अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश की थी जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात बाबत् दिनांक 4.10.2019 को खसरा नंबर 2121 से 2128, 2129/2776, 2130 से 2137 कुल किता 17 कुल रकबा 2.5500 है0 वाकै ग्राम किरानीपुरा, तहसील व जिला अजमेर की आगामी पेशी दिनांक 19.11.2019 तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है । अपीलांटस ने पूर्व में रेस्पो0 के विरूद्ध पुलिस थाना अलवर गेट, अजमेर के समक्ष एफ0आई0आर0 पेश की थी जिसमें थानाधिकारी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का किरानीपुरा ने विवादित भूमि के संबंध में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि ग्राम किरानीपुरा में होना बताया तथा अप्रार्थीगण का कब्जा एवं निर्माण ग्राम थोकमालियान तृतीय के खसरा नंबर 9675 पर होना बताया है । उक्त मौका निरीक्षण के आधार पर पुलिस थाना, अलवर गेट, अजमेर ने प्रकरण में एफ0आर0 दिनांक 13.7.2019 को पेश की है । इसी प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

भी तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है जिस पर पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट दिनांक 28.7.2021 में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण का निर्माण नक्शे एवं मौके की जांच अनुसार मालिया तृतीय के क्षेत्र में होना बताया है । पटवारी हल्का की उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना की एफ0आर0 से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का निर्माण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश में ग्राम किरानीपुरा के वर्णित खसरा नंबरान पर न होकर ग्राम थोक मालिया तृतीय की आराजी खसरा नबर 9675 पर है । उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है । प्रार्थीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से अवमानना प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना निरस्त योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

5. निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर